न्यायालय : अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रींगस जिला सीकर

तारीख हुक्म	रेगुलर फौजदारी प्रकरण संख्या 260/2016 श्यामसुन्दर बनाम बजरंगलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी

06.01.2026 परिवादी अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी/अभियुक्त बजरंगलाल की ओर से जरिये अधिवक्ता आवेदन अन्तर्गत धारा 91 सीआरपीसी पेश किया गया। उक्त आवेदन का अप्रार्थी/परिवादी के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं कर सीधे ही बहस करना जाहिर किया गया। बहस आवेदन अधिवक्ता उभयपक्षकारान सुनी गई।

इस आदेश द्वारा अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा रहा है।

दौराने बहस प्रार्थी/अभियुक्त के अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा यह तर्क दिये गये कि परिवादी द्वारा अपने कथनों में प्रदर्शपी 3 रिटर्न मेमो वकील साहब को देने के अतिरिक्त उसकी और बजरंग के बीच किये गये एग्रीमेंट की कापी वकील साहब को देने का कथन किया गया है। उक्त दस्तावेज प्रकरण के न्यायोचित निस्तारण हेतु अहम दस्तावेज है जिसे परिवादी से शेष प्रतिपरीक्षा से पूर्व तलब करवाया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर उक्त दस्तावेज परिवादी से तलब करवाने का आदेश फरमावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी/परिवादी अधिवक्ता की ओर से उक्त आवेदन का खण्डन करते हुये तर्क दिया गया है कि उक्त दस्तावेज प्रार्थी/अभियुक्त साक्ष्य एकत्रित करवाने हेतु मंगवाना चाह रहा है, प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा हस्तगत आवेदन प्रकरण में देरीना कारित करने के आशय से पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अभियुक्त का आवेदन अस्वीकार किया जाकर खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा सुसंगत विधि का अनुशीलन एवं परिशीलन किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से हस्तगत आवेदन अन्तर्गत धारा 91 सीआरपीसी परिवादी व अभियुक्त के मध्य विवादित संव्यवहार के सम्बन्ध में लिखे गये इकरारनामा को तलब करवाने बाबत् पेश किया गया है। धारा 91 सीआरपीसी के तहत न्यायालय द्वारा उन दस्तावेजों को तलब किया जा सकता है जो प्रकरण के न्यायसंगत निस्तारण

ममता रोहिला
अति. ... मजिस्ट्रेट
रींगस ...

तारीख हुक्म	रेगुलर फौजदारी प्रकरण संख्या 260/2016 श्यामसुन्दर बनाम बजरंगलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

हेतु आवश्यक व वांछनीय है। हस्तगत प्रकरण परिवादी द्वारा धारा 138 एनआई एक्ट के तहत दर्ज करवाया गया है। परिवादी द्वारा अपनी साक्ष्य में स्वीकार किया गया है कि अभियुक्त व उसके मध्य किये गये इकरारनामा की प्रति उसने अपने अधिवक्ता को दी थी। ऐसी स्थिति में उक्त इकरारनामा प्रकरण से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे तलब किया जाना प्रकरण के न्यायसंगत निस्तारण हेतु आवश्यक है जिसे पत्रावली पर पेश करवाया जाना आवश्यक है। अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर परिवादी को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त असल इकरारनामा न्यायालय के समक्ष पेश करे।

पत्रावली पेश होने दस्तावेज दिनांक 17.01.2026 को पेश हो।

ममता रोहिला
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीकर